अपीलीय सिविल

माननीय न्यायाधीश एस.एस. संधावालिया और माननीय न्यायाधीश एम. आर. शर्मा के समक्ष

गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला शहर की प्रबंधन समिति - अपीलकर्ता।

बनाम

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर - उत्तरदाता

1972 के आदेश क्रमांक 28 से प्रथम अपील
9 मार्च 1972

सिख गुरुद्वारा अधिनियम (1925 का VIII) - धारा 108 बी, 124 (2) और 142 - धारा 124 (2) के तहत कार्यवाही में निर्णय - के विरुद्ध अपील - क्या यह निहित हैं।

अभिनिर्धारित, कि अपील करने का अधिकार अंतर्निहित नहीं है। यह पूरी तरह से एक वैधानिक क़ानून का निर्माण है। चूंकि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 124(2) के तहत कार्यवाही, अधिनियम की धारा 142(1) या (2) के दायरे में नहीं आती है और चूंकि धारा 124 और 103बी दोनों किसी भी अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं करते हैं, और इसलिए अधिनियम की धारा 124(2) के तहत कार्यवाही में दिए गए निर्णय के खिलाफ कोई अपील संभव नहीं है।

(पैरा 3 और 4)

सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग, अमृतसर के न्यायालय के 25 अक्टूबर, 1971 के आदेश से पहली अपील, जिसमें निर्देश दिया गया कि उत्तरदाता समिति, याचिकाकर्ता समिति को वर्षों के विवाद के लिए धार्मिक निधि के रूप

में 39,966 रुपये का भुगतान करे।राशि का भुगतान उत्तरदाता समिति द्वारा किश्तों में किया जाएगा।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमर सिंह अम्बालवी।
उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता बी.एस. शांत।

निर्णय

माननीय न्यायाधीश एस.एस. संधावालिया :

क्या सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 124(2) के तहत कार्यवाही में दिए गए सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है, यह एकमात्र सवाल है जो इस अपील में उठाया गया है।

(2) तथ्य विवादित नहीं हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर ने अधिनियम की धारा 124(2) के तहत प्रबंधन समिति गुरुद्वारा मंजी साहब, अम्बाला शहर से उक्त अधिनियम की धारा 108बी के तहत निर्धारित धार्मिक निधि के रूप में 39,966 रुपये की वसूली के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। आयोग ने प्रारंभिक आपत्ति कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी, को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि आवेदन अधिनियम की धारा 108 सी के साथ पढ़ी गई धारा 124 के तहत सक्षम था। योग्यता के आधार पर भी आयोग ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रार्थना में की गई राशि के लिए डिक्री प्रदान कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता इस अपील के माध्यम से आया है और स्वीकार करने वाली पीठ ने इस अपील को एक डिवीजन बेंच द्वारा सुनने का निर्देश दिया है ताकि इस मामले को आधिकारिक रूप से निपटाया जा सके कि क्या वर्तमान अपील सक्षम है।

(3) सिख गुरुद्वारा अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान, जो हमारे ध्यान में लाया गया है, वह धारा 142(3) है, जो उप-धारा (1) या उसकी उपधारा (2)

के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है। धारा 142(1) के प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि यह प्रावधान करता है कि अधिसूचित सिख गुरुद्वारे में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी कथित दुर्भावना, दुराचार, विश्वास के उल्लंघन, कर्तव्य की उपेक्षा और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग के लिए आवेदन कर सकता है, बोर्ड, बोर्ड की कार्यकारी समिति या समिति के खिलाफ या बोर्ड के किसी भी सदस्य या पूर्व सदस्य के खिलाफ या गुरुद्वारे के किसी भी कार्यालय-धारक या पिछले कार्यालय-धारक के खिलाफ और साथ ही बोर्ड या गुरुद्वारा के किसी भी अतीत या वर्तमान कर्मचारी के खिलाफ। इसी प्रकार धारा 142(2) में आयोग को समान तरीके से आवेदन करने का प्रावधान है। अपील के तहत निर्णय का एक मात्र संदर्भ यह दिखाएगा कि वर्तमान मामले में आयोग के समक्ष कार्यवाही को दूर-दूर तक उक्त क़ानून की धारा 142(1) या (2) के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। वास्तव में जब प्रासंगिक प्रावधानों का सामना किया गया, तो अपीलकर्ता के लिए श्री अम्बालवी ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि आयोग के समक्ष कार्यवाही उपरोक्त दो उप-धाराओं में से किसी के भी तहत नहीं थी और इसलिए धारा 142 की उपधारा (3) के प्रावधान जो अपील का प्रावधान करते हैं, वर्तमान मामले में लागू नहीं होते।

(4) श्री अंबालवी ने तब अधिनियम की धारा 124 और 108बी का संदर्भ किया था। हमने उपर्युक्त प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन किया है और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभवतः अपीलकर्ता की ओर से इस तर्क का समर्थन कर सके कि उपरोक्त धाराओं के तहत कार्यवाही के लिए इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अपील करने का अधिकार अंतर्निहित नहीं है। यह पूरी तरह से वैधानिक क़ानून का निर्माण था चूंकि दोनों धाराएं 124 और 108बी किसी भी अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं करती हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि इनमें से किसी भी प्रावधान के तहत भी वर्तमान अपील अक्षम होगी।

(5) श्री अंबालवी के प्रति निष्पक्षता में हमने देखा कि अंततः विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि न तो धारा 108बी और न ही 124 के तहत

कोई अपील की जा सकती है और उन्होंने तर्क दिया कि उनका एकमात्र उपाय, यदि हो भी, तो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत होना चाहिए। अधिवक्ता ने हमारे सामने प्रार्थना की कि हमें वर्तमान अपील को उन अनुच्छेदों के तहत एक रिट याचिका के रूप में मानना चाहिए। हम ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुक हैं, लेकिन हम प्रेक्षित करेंगे कि वर्तमान अपील को अक्षम के रूप में अस्वीकार करने से किसी भी तरह से अपीलकर्ता के ऐसे अन्य उपचारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कानून के अनुसार उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

(6) परिणामस्वरूप हम मानते हैं कि अपील अक्षम है और इसे ख़ारिज किया जाता हैं हालाँकि, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के ।

माननीय न्यायाधीश एम. आर. शर्मा -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़